

संपादकीय बदल रही मेडिकल शिक्षा

एक तरफ वैश्वन मेडिकल कमीशन (एनएमसी) बिल के कानून बनने का रस्ता साफ हो गया है, दूसरी तरफ इसके खिलाफ डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन भी बढ़ता जा रहा है। भारी विरोध के बीच गुरुवार को राज्य सभा में यह बिल पास हो गया जबकि लोकसभा में यह 29 जुलाई को ही पास हो गया था। राज्य सभा में एक अमेंटमेंट पास होने के कारण इसे लोकसभा में फिर से पारित करना पड़ेगा लेकिन सरकार को इसमें कोई दिक्षा नहीं होगी। इस बिल के तहत मेडिकल कार्डिनल ऑफ इंडिया (एमसीआई) का किस्सा खत्म करके उसकी जगह नेशनल मेडिकल कमीशन (एनएमसी) का गठन किया जाएगा।

अब तक एमसीआई के पास मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन, मेडिकल शिक्षा और डॉक्टरों के रजिस्ट्रेशन जैसे काम होते थे, जो अब एनएमसी के पास चले जाएंगे। बिल में मेडिकल शिक्षा को बेहतर बनाने और मौजूदा स्वास्थ्य तंत्र को सक्षम बनाने के लिए कई प्रावधान किए गए हैं लेकिन इनमें से ज्यादातर पर डॉक्टरों को आपत्ति है। जैसे बिल के 32वें प्रावधान के तहत कम्पूनिटी हेल्प प्रोवाइडर्स को मरीजों को दवाइयां लिखने और उनका इलाज करने का लाइसेंस दिलेगा। इस पर डॉक्टरों की आपत्ति है कि इससे मरीजों की जान खतरे में पड़ जाएगी। बिल में एक प्रावधान यह भी है कि आयुर्वेद-होम्योपैथी डॉक्टर ड्रिङ्क कोर्स करके एलाइंगिक इलाज कर पाएंगे। डॉक्टरों का कहना है कि इससे नीम-हकीमी को बढ़ावा दिलेगा। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों को अपनी कुल सीटों में से 50 फीसदी की फीस तय करने का हक मिलेगा, जिस पर डॉक्टरों की राय है कि इससे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में श्वेताघ बढ़ेगा। सबसे बड़ा बदलाव यह है कि एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी करने के बाद अपने आर्किवर इम्तहान के रूप में डॉक्टरों को एंडिट टेस्ट पास करना होगा। इससे वे प्रैक्टिस करने के हकदार होंगे और पोस्ट ग्रैजुएशन में उन्हें एडमिशन भी इसी के आधार पर दिया जाएगा।

अभी तक यह सिर्फ विदेश से एमबीबीएस करके आने वालों के लिए जरूरी था। डॉक्टरों का एतराज है कि ऐसे टेस्ट की व्यवस्था किसी और स्ट्रीम में नहीं है और टेस्ट में नाकाम रहने पर उनका करियर नष्ट हो सकता है। लेकिन डॉक्टरों को समझना चाहिए कि उनका काम लोगों की जिंदगी बचाने का है, जिसे महज एक करियर की तरह नहीं देखा जा सकता। अभी की व्यवस्था में पैसा झोककर आए खराब डॉक्टरों की भरमार हो गई है। एंजिट टेस्ट से उनकी गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सकती। रही बात होम्योपैथ और अन्य चिकित्सा पद्धतियों में सक्रिय लोगों को मुख्यधारा में लाने की तो भारत जैसे देश के लिए यह बहुत बड़ी पहल है। आज मामूली मर्ज के लिए भी एक्सपर्ट्स के पास जान पड़ता है जबकि गांवों में लोग झोलाछप डॉक्टरों पर विर्भर हैं। उन्हें छोटी बीमारियों के इलाज के लिए तैयार किया जा सके तो इसमें हर्ज क्या है!



कहा है कि इन खेलों में खेलना उनका अधिकार है और हमने इस पर गौर किया है। कार्यकारी परिषद

आईओए के महासचिव राजीव मेहता ने कहा, चीज़ खिलाड़ियों ने

मैं

मैं